IJSSRA | ISSN: 3107-6238
July-September 2025 | Vol. 01 | Issue 2

गरिमा और समानता के बीच सम्बन्ध

डॉ. सतवीर एस. बरवाल[1] & प्रीति कुमारी[2*]

[*2]शोधार्थी, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत
ई-मेल: Priti.k3336@gmail.com
[2]Professor, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17317461
Accepted on: 28/09/2025 Published on: 10/10/2025

सारांश:

यह पेपर गरिमा और समानता पर चर्चा करते हुए इनके बीच के सम्बन्ध की जांच करता है। दो मानवीय मूल्य सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के सन्दर्भ में | गरिमा अधिकार सृजित करने वाला मूल्य है जो समाज में समानता स्थापित करने के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करती है और समानता गरिमा को प्रोत्साहित करके समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करने का कार्य करती है मानवाधिकार और सामाजिक न्याय दोनों के मूल में गरिमा ही है |गरिमा समानता हेतु एक आवश्यक शर्त है |मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के अस्तित्व को बनाये रखने में गरिमा और समानता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है | विद्यमान साहित्य, संवैधानिक प्रावधानों और आलोचनात्मक सिद्धांतों की समीक्षा और विश्लेषण के आधार पर यह जांचने का प्रयास है कि गरिमा और समानता दोनों एक दूसरे से सम्बंधित और परस्पर निर्भर अवधारणा है |गरिमा और समानता के बीच में सकारात्मक सम्बन्ध पाया जाता है संविधान में वर्णित आदर्शों के अनुरूप ही किसी देश में राजनीतिक व्यवहार किया जाता है किसी भी देश की राजनीति गरिमा और समानता के मूल्य को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है स्थानीय कारक (किसी भी देश की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि) गरिमा और समानता के सम्बन्ध के स्वरुप को निर्धारित करते है | गरिमा और समानता को संरक्षित और पल्लवित करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है यह शोधपत्र सामाजिक न्याय और मानवाधिकार को विशेष रूप से वंचित वर्ग के लिए बढ़ावा देने में योगदान दे सकता है | समावेशी और समतावादी शैक्षिक नीतियाँ बनाने , आलोचनात्मक सिद्धांतों को प्रोत्साहन, सत्ताधारी विचारधाराओं को चुनौती देने और वंचित समुदाय की शिक्षा और जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रम बनाने आदि के विषय में भूमिका अदा कर सकता है|

मुख्य शब्द: *गरिमा, समानता, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और आलोचनात्मक सिद्दांत।*

प्रस्तावना:

मानव गरिमा और समानता किसी भी लोकतान्त्रिक समाज के महत्वपूर्ण मूल्य होते है, ये वे मूल्य हैं जिस पर लोकतंत्र आधारित होता है और समाज और व्यक्ति के अन्दर लोकतंत्र को जीवित रखते है | यह वर्तमान राजनीति का राजनैतिक आदर्श भी है मानव कल्याण और किसी भी समाज में शांति और समृद्धि को बनाये रखने के लिए समाज में इन मूल्यों को बनाये रखना एक आवश्यक शर्त है | इन्हें लोकतान्त्रिक मूल्यों (Democratic value) के नाम से जाना जाता है | ये दोनों मूल्य परस्पर सम्बंधित और एक दूसरे के अस्तित्व को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है | मानव गरिमा एक जटिल और बहुआयामी संकल्पना है | समय समय पर विभिन्न चिंतकों ने परिस्थिति के अनुसार इसको परिभाषित किया है | मानव गरिमा व्यक्ति का आत्म मूल्य और आत्म सम्मान की भावना के साथ साथ दूसरों के सम्मान की भावना को भी शामिल करता है | प्रत्येक व्यक्ति का एक मूल्य होता है जो उसमें अन्तर्निहित होता है | अर्थात गरिमा व्यक्ति का अन्तर्निहित और अनार्जित मूल्य होता है | एक ऐसा मूल्य जो उसके पास उसकी इच्छा के कारण नहीं उसके अपने अस्तित्व के कारण होता है | जिसे सभी मनुष्य समान रूप से साझा करते है यह मनुष्य को मानवता की ओर प्रेरित करता है जो कि व्यक्ति की नैतिकता से सम्बंधित है जिसमें व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सम्मान के साथ जीने की स्वतंत्रता निहित है और जन्म के साथ मानव को जो प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते है वह भी इसमें निहित है यह व्यक्ति को उसके मानव अधिकारों की ओर प्रवर्त करती है | ऐसा भी कहा जा सकता है कि मानव अधिकार मानव के मूल में है | अतः मानव अधिकार और मानवीय गरिमा ही मानव अधिकारों की नींव है | इन्हें एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है, अतः मानव अधिकार और मानव गरिमा एक दूसरे के पूरक है |

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

गरिमा (Dignity) शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द दिग्निटास (Dignitas) से हुई है | जिसका अर्थ था सम्मान या आदर, प्राचीन रोम में दिग्नितास (Dignitas) उसी व्यक्ति को दिया जाता था जो समाज में सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रतिष्ठित होता था | अर्थात गरिमा सामाजिक पदानुक्रम(social hierarchy) के आधार पर किसी व्यक्ति की सामाजिक और राजनितिक प्रतिष्ठा से जुडी हुई होती है | कहा जाय तो गरिमा के अर्थ को प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार के रूप में समझा जाता था | हालाँकि, सिसरो का मानना था कि सभी मनुष्यों में डिग्निटास होता है क्योंकि उनमें तर्क करने की अंतर्निहित क्षमता होती है (हेनरी, 2011, पृष्ठ 190)। यह सार्वभौमिक विशेषता सभी मनुष्यों को समान सम्मान प्रदान करती है। उनका श्रेष्ठ दिमाग उन्हें सोचने और अपने पर्यावरण को आकार देने में सक्षम बनाता है। फिर भी, उस समय की प्रचलित अवधारणा

सिसरो की अंतर्निहित गुणवत्ता की अवधारणा को साझा नहीं करती थी। उनका मानना था कि गरिमा उच्च सामाजिक या राजनीतिक स्थिति के आधार पर अर्जित विशेषता थी **(ग्लेंसी, 2011; Staffen & Arshakyan, 2017)।** अरस्तु ने मानव गरिमा को तर्क, सद्गुण और नैतिकता के रूप में देखा है | मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण अपने सद्गुणों को विकसित करता है | और यह बुद्धि ही उसके अन्दर की चेतना का आधार है | जो व्यक्ति को सोचने, समझने, और निर्णय लेने के काबिल बनाती है | अरस्तु कहता है कि मानव को समाज में सम्मान पाने के किए अपने अन्दर साहस, न्याय और बुद्धिमत्ता जैसे सद्गुणों को विकसित करना चाहिए | और वास्तविकता को पहचानना चाहिए, प्रत्येक सद्गुणी व्यक्ति को राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सहभागिता करने का पूर्ण अधिकार है |

ज्ञान के पुनर्जागरण में मनुष्य की गरिमा दार्शनिक रूप से विकसित हुई | इम्मुअल कांट (Immual kant) ने गरिमा को नैतिक मूल्य के रूप में देखा | उन्होंने कहा कि गरिमा मनुष्य का अन्तर्निहित मूल्य है जो सभी तर्कसंगत मनुष्य में समान है | कांट ने गरिमा की पुरातन अवधारणा को मनुष्य की स्वायत्ता में सम्मान की ओर परिवर्तित कर दिया | गरिमा के विकास में कांट के योगदान को रेखांकित करते हुए, सुलिवन तर्क देते हैं कि "कांट के संपूर्ण नैतिक दर्शन को रैंक, धन और विशेषाधिकार के बहुत कम महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर भेदभाव के खिलाफ एक विरोध के रूप में समझा जा सकता है" जैसा कि डिलन तर्क देते हैं, यह गरिमा को नैतिक मूल्य देने पर कांट का जोर है जो उन्हें "नैतिक सिद्धांत के केंद्र में" व्यक्तियों के लिए सम्मान रखने वाला पहला प्रमुख पश्चिमी दार्शनिक बनाता है **(Sinha, 2020)।** नैतिकता के तत्वमीमांसा में, कांट लिखते हैं कि सम्मान, आचरण (और कभी-कभी दृष्टिकोण) में प्रकट होता है जो 'किसी के अपने व्यक्ति या किसी अन्य के व्यक्ति में मानवता को केवल साधन के रूप में नहीं बल्कि अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में' मानता है।

गरिमा के नए अर्थ में कांट का योगदान उल्लेखनीय है | इसने सम्मान को नैतिक मूल्य के साथ जोड़कर गरिमा की अवधारणा में उल्लेखनीय बदलाव किया | जबकि अभिजात वर्ग इसे किसी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक स्थिति, पद और प्रतिष्ठा से जोडता था | आधुनिक समय में यह बदलाव इस बात से स्पष्ट है कि लोग चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक स्थिति, पद और प्रतिष्ठा कुछ भी हो वे सभी गरिमा रखते है और सम्मान के हकदार है | आज गरिमा मानवीय अधिकारों के आधार रूप में देखी जा सकती है तथा सभी संवैधानिक अधिकारों के मूल में गरिमा ही अन्तर्निहित होती है |

सैद्धांतिक फ्रेमवर्क:

मानव अधिकार:

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में गरिमा क़ानूनी रूप से विकसित हुई | जब मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा में गरिमा का उपयोग किया गया | मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा में गरिमा का उल्लेख दो बार किया गया है | प्रस्तावना में दो स्थान पर गरिमा का उल्लेख किया गया है | जबकि मानव परिवार के सभी सदस्यों की अन्तर्निहित गरिमा और समान एवं अविभाज्य अधिकारों की मान्यता विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने चार्टर में मौलिक मानव अधिकारों, मानव व्यक्ति की गरिमा और मूल्य तथा पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों में अपने विश्वास की पुष्टि की है और व्यापक स्वतंत्रता में सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा देने का दृढ संकल्प किया है, अनुच्छेद 1 में सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते है, सम्मान और अधिकारों में समान होते हैं | उन्हें तर्क विवेक से संपन्न किया गया है और उन्हें एक दुसरे के प्रति भाईचारे की भावना से काम करना चाहिए | सामाजिक सुरक्षा के सन्दर्भ में यह अनुच्छेद 22 में यह प्रावधान है समाज के सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है |तथा वह राष्ट्रिय प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से तथा प्रत्येक राज्य के संगठन और संसाधनों के अनुसार अपनी गरिमा और व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के लिए अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हकदार है | के रूप में अनुच्छेद 23 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का, रोजगार के स्वतंत्र चुनाव का, काम की न्यायसंगत और अनुकुल परिस्थितियों का तथा बेरोजगारी से सुरक्षा का अधिकार है **(McCrudden, 2008)।**

सामाजिक न्याय:

सामाजिक न्याय एक दार्शनिक और राजनीतिक आदर्श है आधुनिक राजनीति का यह महत्वपूर्ण आदर्श है, आज के समय में लगभग सभी देश अपनी राजनीति में इस आदर्श को शामिल करते है और इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी रखते है | जैसे मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration on human rights 1948), आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध या समझौता (The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights1966) (ICESCR) बच्चे के अधिकार पर सम्मेलन (Convention on right to child 1989), सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा (World declaration on Education for all 1990), डेकर घोषणा (Dakar declaration 2000) भारत में सरकार हाशिए पर पड़े समूहों के विकास और प्रगति के लिए नयी-नयी योजना बनाती है | जैसे शिक्षा सम्बन्धी वंचित और हाशिये पर स्थित समूहों की शिक्षा को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क किया गया है | स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY), सामाजिक न्याय की अवधारणा

इस बात पर आधारित है कि समाज में सभी लोग समान है सभी के साथ समान व्यवहार किया जायेगा | क्योंकि प्रकृति ने सभी को समान बनाया है | किसी के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा | समानता, संसाधनों तक सभी की समान पहुँच, भागीदारी, विविधता और मानवाधिकार आदि सामाजिक न्याय के मुख्य सिद्धांत है | Nacy fraser ने अपने को ध्यान में रखकर समाज कल्याण की बेहतर नीति और नियम बना सकता है |सामाजिक न्याय के विषय में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा है " **न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक** सामाजिक न्याय सिद्धांत में सहभागितावादी समता का दृष्टिकोण विकसित करती है जिसमें वह दो संकल्पनाओ को जोडती है पुनर्वितरण और पहचान| सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए हमें इन तीन सिद्धांतों सभागिता या प्रतिनिधित्व, पुनर्वितरण (आर्थिक विषमताओं को दूर करना) और पहचान (गलत सांस्कृतिक पहचान को समाप्त करना) पर कार्य करने की आवश्यकता है | जॉन राल्स ने अपने सिद्धांत में समानता और स्वतंत्रता पर सभी का ध्यान आकर्षित किया है |अपने न्यायोचित वितरण सिद्धांत में समाज में सभी को संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की बात करते हैं | वे एक समतामूलक समाज की कल्पना करते है जहाँ सभी को अपने जीवन यापन के लिए बुनियादी सुविधाएँ समान रूप से प्राप्त हों और सभी को समान स्वतंत्रता हो क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति ही सभी के हितों **करुणा भरे समाज का निर्माण करें "** **(NCERT, 2017)।**

साहित्य की समीक्षा:

लेखक ने अपने आर्टिकल 'Human dignity and judicial interpretation of human rights' में मानव गरिमा की न्यायिक व्याख्या विभिन्न देशों के संविधानों के सन्दर्भ में की है | मानव गरिमा के एतिहासिक, धार्मिक, दार्शनिक और राजनीतिक सन्दर्भों के माध्यम से इसके उद्विकास पर प्रकाश डाला है | और समयानुसार मानव गरिमा के अर्थ के विषय में हुए विस्तार की व्यख्या की है| जिसमे कैथोलिक प्रभाव, सामाजिक और लोकतान्त्रिक प्रभाव का वर्णन किया है लेखक ने विभिन्न देशों द्वारा गरिमा को अपने संविधान में शामिल करने और उसकी न्यायिक व्यख्या में अलग अलग देशों के सन्दर्भ और तर्क को प्रस्तुत किया है | लेखक ने गरिमा की अवधारणा को मानवाधिकार की आधारशिला के रूप में देखा है विभिन्न न्यायाधीशों के दृष्टिकोण को गरिमा की अवधारणा का वर्णन करने में अपनाया है लेखक तर्क देता है कि गरिमा के उपयोग पर स्थानीय प्रभाव पड़ता है | गरिमा समय, स्थान और परिस्थितिनुसार अपने अर्थ में विभिन्न दृष्टिकोणों को समाहित करती है | जिसके कारण गरिमा की कोई सार्वभौमिक न्यायिक व्याख्या नहीं है | यह न्यायाधीशों को अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन और विस्तार करने का आधार प्रदान करती है | गरिमा को अधिकार क्षेत्र के विस्तार और परिवर्तन के रूप में देखा गया है |

गरिमा और समानता के बीच के सम्बन्ध को संवैधानिक सन्दर्भ में देखा गया है गरिमा और समानता के सम्बन्ध को भारतीय सामाजिक सन्दर्भ में जैसे शिक्षा, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, आदि के सम्बन्ध में देखना आवश्यक है | नवीन सिन्हा ने अपने आर्टिकल 'Human Dignity- A Kantian Perspective' में गरिमा की अवधारणा के विकास में इम्मुअल कांट के योगदान को दर्शाया है | इम्मुअल कांट ने गरिमा के अवधारणा को मानव के सामाजिक स्तर के बजाय इसे मानव के अंतर्निहित मूल्य के रूप में परिवर्तित कर दिया उनके अनुसार गरिमा एक नैतिक आदर्श है जो सभी में समान तथा बिना शर्त के विद्द्मान है | जब यह मूल्य सभी में समान है तो वर्तमान में यह देखना आवश्यक हो जाता है गरिमा और समानता दोनों एक दुसरे से कैसे सम्बंधित है इनके सामाजिक निहितार्थ क्या है | लेखक ने अपने आर्टिकल 'About the principle of dignity: philosophical foundations and legal aspects' गरिमा की अवधारणा के दार्शनिक और क़ानूनी पक्ष को देखा है गरिमा के उपयोग के विषय में विभिन्न देशों के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया है | गरिमा को मानवाधिकारों का मूल आधार माना गया है | इम्मुअल कांट गरिमा को तार्किकता और स्वायत्ता के रूप में देखते है | दार्शनिक और कानूनी विश्लेषण गरिमा के विभिन्न अनुप्रयोग और उसके महत्त्व को दर्शाता है | क्योंकि जब हम गरिमा के सांस्कृतिक पहलु की बात करते हैं तो विभिन्न देशों में इसका उपयोग वहां के समाज के आदर्श और मूल्य पर निर्भर करता है | जब गरिमा एक अन्तर्निहित मूल्य है और सभी के साथ सामान व्यवहार की मांग करती है तो यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि गरिमा और समानता दोनों एक दुसरे से किस तरह से सम्बंधित है ? लेखक ने अपने आर्टिकल "The role of dignity in equality law: Lessons from Canada and South Africa" में गरिमा की व्याख्या कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के संविधान के सन्दर्भ में की है | गरिमा और समानता के सम्बन्ध की सांविधानिक व्याख्या की है | समानता कानून के निर्धारण में गरिमा की भूमिका को विभिन्न उदाहरणों द्वारा सुझाया गया है न्यायधीशों द्वारा गरिमा के अनुप्रयोग को समानता स्थापित करने में किस तरह से किया गया है और इसके साथ ही यह आर्टिकल तर्क देता है कि समानता न्यायशास्त्र के विकास के लिए न्यायाधीशों को पहले गरिमा की विषय सामग्री को स्पष्ट करना चाहिए | यह आर्टिकल कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के सन्दर्भ में लिखा गया है जो गरिमा और समानता के सम्बन्ध की संवैधानिक और सीमित व्याख्या प्रस्तुत करता है | क्योंकि भिन्न भिन्न देशों की संस्कृति भिन्न भिन्न होती है गरिमा का उपयोग संस्कृति, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है | इसलिए इन दोनों अवधारणाओं के आपसी सम्बन्ध को और ज्यादा अन्वेषित करने की आवश्यकता है भारतीय समाज के सन्दर्भ में समानता और गरिमा के सम्बन्ध को देखना आवश्यक है | मानव गरिमा को वैश्विक स्तर मानवाधिकारों की आधारशिला के रूप में देखा गया है | कनाडा देश के सविंधान के सन्दर्भ में समानता के क़ानून के निर्धारण में गरिमा की भूमिका पर चर्चा की गयी है | भारतीय सन्दर्भ गरिमा और समानता के सम्बन्ध को देखना आवश्यक हो जाता

है | यह पेपर "Dignity and Equality in healthcare" समानता और गरिमा के सम्बन्ध को स्वास्थ्य देखबाल के सन्दर्भ में आलोचनात्मक ढंग से जांच करता है | बर्कले के दृष्टिकोण के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ सामाजिक रूप से समान व्यवहार न करना उसकी गरिमा का सम्मान न करना है गरिमा की अवधारणा को समान व्यवहार करने के रूप में देखा गया है | लेकिन यह स्पष्ट नहीं है की व्यवहारिक रूप से किसी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना क्या है ? गरिमा की समान व्यवहार की सामग्री में क्या-क्या शामिल होना चाहिए | इस विषय में और अधिक सैद्धांतिक तथा विस्तृत अन्वेषण करने की आवश्यकता है |

शोध अंतराल:

साहित्य की समीक्षा करने के पश्चात यह पाया गया है कि मानव गरिमा को वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की आधारशिला के रूप में देखा गया है | कनाडा देश के सविंधान के सन्दर्भ में समानता के क़ानून के निर्धारण में गरिमा की भूमिका पर चर्चा की गयी है | भारतीय सन्दर्भ में गरिमा और समानता के आपसी सम्बन्ध और सामाजिक निहितार्थ को देखना आवश्यक हो जाता है |

भारतीय सन्दर्भ में गरिमा:

भारतीय सन्दर्भ में मानव गरिमा को संवैधानिक मूल्य के रूप में माना गया है | मानवीय गरिमा को भारतीय सविंधान के आधारभूत विश्वास और मौलिक अधिकारों की नींव माना गया है अर्थात मौलिक अधिकार इसके मूल में है | अतः भारतीय सन्दर्भ में मानव गरिमा को उच्च दर्जा दिया गया है, भारतीय सविंधान में उल्लेखित समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय जैसे कई मूल्यों में से एक के रूप में गरिमा को सूचीबद्द किया गया है | इन मूल्यों के मूल में मानव गरिमा ही है | भारतीय सविंधान में गरिमा को व्यक्तिगत स्वायत्ता और आत्म मूल्य के रूप में माना गया है | और इसे अधिकार के श्रोत के रूप में देखा गया है | गरिमा की भूमिका अधिकार सृजन की है | राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में गरिमा बच्चों के स्वस्थ विकास के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के रूप में आती है | संविधान का अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस न्यायालय के बार-बार के कथनों से यह अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है ... [कि] जीवन का अधिकार व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार की गारंटी देता है। इसमें जीवन के वे सभी पहलू शामिल हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने लायक बनाते हैं। सम्मान के साथ जीने के अधिकार के व्यापक अर्थ के दृष्टिकोण में सभी सामाजिक और आर्थिक अधिकार शामिल है | 1978 में मेनका गाँधी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायलय ने माना कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल पशु

अस्तित्व तक सिमित नहीं है, बल्कि इसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है संरक्षण को विधि कार्यवाही तक बढ़ाते हुए निर्णय दिया कि किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होना चाहिए, यह मनमानी, अनुचित या दमनकारी नहीं हो सकती | ऐसे कई मामले है जहाँ न्यायलय ने गरिमा को अधिकार श्रोत के रूप में अनुप्रयोग किया है | और न्यायलय गरिमा के व्यापक अर्थ विभिन्न न्यायिक फैसलों की संख्या और विविधता गरिमा के सम्बन्ध में न्यायालय के व्यापक अर्थ के दृष्टिकोण को दर्शाती है | इसके बाद की न्यायिक व्याख्याओं ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अनेक अधिकारों को शामिल करते हुए इसके अधिकार क्षेत्र में विस्तार किया है|जिसमें शामिल आजीविका,स्वच्छ पर्यावरण, बेहतर स्वास्थ्य,अदालतों में त्वरित सुनवाई तथा कैद में मानवीय व्यवहार से सम्बंधित अधिकार | भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 (A) के तहत शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया | गरिमापूर्ण जीवन के लिए शिक्षा को आवश्यक घोषित किया गया, गरिमा अपरिवर्तनीय है अतः इसका सम्मान और इसकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है | शिक्षा ही गरिमा को संरक्षित,पुष्पित और पल्लवित करती है | इसका अर्थ यह है कि गरिमापूर्ण जीवन के लिए यह आवश्यक है कि सभी को शिक्षा के समान अवसर मिले |

समानता:

आधुनिक युग में समानता की मांग प्रबल रूप से उभरी है | समानता एक आधुनिक अवधारणा है | समानता एक नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में वैश्विक स्तर पर स्वीकृत आधुनिक मूल्य है जो समतामूलक समाज बनाने पर जोर देती है | कई शताब्दियों से इसे हासिल करने के लिए विश्व में कई आन्दोलन और क्रांतियाँ हुई है | इस मूल्य ने कई शताब्दियों से मनुष्य को प्रेरित और निर्देशित किया है | सभी धर्म समानता की ओर ले जाते है समानता का नैतिक मूल्य इस बात में है कि मनुष्य जन्म से एक अन्तर्निहित मूल्य लेकर पैदा होता है | 'सभी मनुष्य जन्म से समान और स्वतंत्र होते है' जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते है | जैसा कि इम्मुअल कांट कहते है कि सभी मनुष्य समान है और सभी समान सम्मान के हकदार है कांट का मानना था कि "**सभी लोगो को समान सम्मान मिलना चाहिए, और लोगों को दूसरों के साथ अपने लक्ष्य के रूप में व्यवहार करना चाहिए, न कि लक्ष्य के साधन के रूप में | (Kaant believed that all people are owed respect, and that people should treat others as ends in themselves, not merely as means to an end)**" राजनीतिक आदर्श के रूप में समानता इस बात पर जोर देती है कि लिंग, रंग, जाति, नस्ल, धर्म, वंश, जन्मस्थान, आदि के आधार पर अलग होते हुए भी सभी लोग समाज की सभी गतिविधियों में समान रूप से साझेदार होंगे | समान मानवता की यह अवधारणा ही सार्वभौमिक मानवाधिकारों जैसी धारणाओं के पीछे रहती है | यह लोकतान्त्रिक समाज का

आधारभूत तत्व है और आधुनिक समाज असमानता को अन्यायपूर्ण मानता है और समाज में समानता स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है **(NCERT, 2024 p.p32)।** किसी भी परिवार, समाज, देश या राज्य में समानता का भाव शांति का प्रतीक होता है और शांति के बिना समृद्धि संभव नहीं होती जहाँ समानता नहीं होती वहां अशांति होती है समृद्धि के रास्ते कुंद हो जाते है | अशांति फूट और क्रांति का कारण बनती है वहीँ से क्रांति के रास्ते खुलते है | जैसा कि अरस्तु ने कहा है- **"राज्य में क्राांति का प्रमुख कारण विषमता है।"** समानता की अवधारणा का जन्म इसके विपरीत शब्द असमानता से हुआ है | इसकी उत्पत्ति यूनानी दर्शन में देखी जा सकती है | प्लेटो और अरस्तु दो महान दार्शनिक हुए है | अरस्तु ने असमानता को समझाते हुए कहा है कि समाज में कुछ लोग शासित होने के लिए और कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते है | अरस्तु का मत है कि दास प्रथा एक प्राकृतिक संस्था है | उन्होंने दास और स्वामी के बीच, अमीर और गरीब के बीच, निम्न नैतिक स्तर और उच्च नैतिक स्तर के बीच समाज में विद्द्यान असमानताओं को बनाये रखने पर जोर देते है | अरस्तु ने न्याय को इस तरह से परिभाषित किया है कि 'समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए' | अरस्तु प्राकृतिक विषमता के समर्थक थे | और इसे न्यायपूर्ण मानते थे | प्लेटो के न्याय सिद्धांत में समानता को देखा जा सकता है | प्लेटो ने अपने राज्य की जनता को उनके गुणों के आधार पर 3 वर्ग में विभाजित किया है | (1) संरक्षक वर्ग (2) सहायक संरक्षक (3)उत्पादक वर्ग | सभी लोग सभी कार्य में समान नहीं होते है कोई किसी व्यवसाय में निपुण होता है कोई किसी और व्यवसाय में निपुण होता है | सभी को उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए |

"कार्लमार्क्स को समाजवाद का जनक माना जाता है | समाज में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को सबसे पहले मार्क्स ने ही समझा था | जैसे अमीर – गरीब, लैंगिक असमानता, आदि | मार्क्स ने एक वर्गहीन समाज की कल्पना की है | शोषणकारी व्यवस्था का अंत करके ही मानव मुक्ति संभव है यह आर्थिक असमानताओं के सन्दर्भ में है | मार्क्स ने क्रिटीक ऑफ़ गोथा प्रोग्राम (Critique of the Gotha Programme 1875) पुस्तक में उल्लेख किया कि संक्रमणकालीन समाजवादी अवस्था में पूर्ण रूप से आर्थिक समानता स्थापित नहीं होती, मात्र सभी की उत्पादन के संसाधनों पर समान पहुँच सुनिश्चित की जाती है | इस संक्रमणकालीन समाजवादी अवस्था में 'प्रत्येक को काम के अनुसार (To each according to his work) लाभ प्राप्त होगा | जबकि साम्यवाद में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार, और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार (From each according to his ability to to each according to his needs) का सिद्धान्त स्थापित होगा | साम्यवादी अवस्था में मनुष्य मात्र उत्पादन का साधन न होकर उसे इच्छाओं और आवश्यकताओं से परिपूर्ण मनुष्य के तौर पर देखा जाएगा | इस तरह वर्ग के अंत के साथ समता स्थापित होगी |"

भारतीय सन्दर्भ में समानता:

महात्मा ज्योतिबा फूले को सामाजिक न्याय और समानता का प्रणेता माना जाता है | फूले ने अस्पृश्यता और सम्पूर्ण जाति-व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जोरदार वकालत की। उन्होंने अन्यायपूर्ण जाति-व्यवस्था के खिलाफ विरोध किया जिसके तहत लाखों लोग सदियों से पीड़ित थे। उस समय दलितों के पास कोई राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक अधिकार नहीं थे। उन्होंने कहा कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन्म से सभी स्वतंत्र और समान हैं। सभी मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। वे दलितों के अधिकारों के पुरजोर समर्थक थे। महात्मा फुले ने समाज के कमजोर वर्ग और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जीवन भर संघर्ष किया | उन्होंने भारतीय समाज में विद्यमान वर्ण व्यवस्था का विरोध किया | शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए और यह महसूस किया | कि यह समाज मानसिक रूप से गुलाम है | इनकी प्रगति का एकमात्र साधन शिक्षा है इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शूद्रों में शैक्षिक जाग्रति का बहुमूल्य कार्य किया | महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की जिससे उन्होंने लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया और वैज्ञानिक और तर्कसंगत सोच का प्रसार किया | उन्होंने केवल पुरुषों की समानता पर ही नहीं बल्कि पुरुष और महिला की समानता पर भी ज़ोर दिया। फुले के लिए परिवार में पुरुष और महिला की समानता के बिना समाज में समानता निरर्थक थी। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और सार्वभौमिक भाईचारे के मूल्यों के आधार पर सार्वभौमिक मानवतावाद का प्रचार किया। वे समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदि मूल्यों को स्थापित करना चाहते थे | उन्होंने "गुलामगिरी" और "ब्राह्मणचे कसाब"(Gulamgiri and Brahmanache Kasab) पुस्तकों के माध्यम से जाति व्यवस्था की आलोचना की **(Sirswal, 2013)।** डॉ. बी. आर. अंबेडकर को समानता, न्याय और समावेशी समाज का अग्रदूत माना जाता है | उनके सामाजिक न्याय के सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित थे | उन्होंने वर्ण व्यवस्था का खंडन करते हुए समाज में सभी को समान अधिकार और सम्मान देने की वकालत की| वे आजीवन अछूतों के अधिकार के लिए लड़ते रहे| वे समाज में समानता के पक्षधर थे | इसलिए उन्होंने भारतीय सविंधान में सभी के लिए मौलिक अधिकार को सुनिश्चित किया | जिससे समाज में किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव न हो सके | और इन पुस्तकों जाति का विनाश, बहिष्कृत भारत, अछूत (untouchability) के माध्यम से समय – समय पर अपने विचार रखे |

समानता के लिए संवैधानिक प्रावधान:

समानता का अधिकार शब्द का अभिप्राय है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है | अर्थात सभी के साथ समान व्यवहार किया जायेगा | धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जायेगा |

- समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को दिए गए अन्य अधिकारों को क्रियान्वित करने हेतु और मानव गरिमा को संरक्षित, करने के लिए आवश्यक है। संविधान द्वारा प्रदत्त अन्य सभी अधिकार और विशेषाधिकार इसके मूल में है |
- सर्वोच्च न्यायालय यानि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने घोषित किया है कि समानता का अधिकार हमारे संविधान की मूल विशेषता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14-18 में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है |

अनुच्छेद 14-18 (समानता का अधिकार):

अनुच्छेद 14 - राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कानूनों के सामान संरक्षण से इंकार नहीं करेगा I
अनुच्छेद 15 - यह धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव के निषेध को संदर्भित करता है।
15 (4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
अनुच्छेद 16 (1) - राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्तियों से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।
16 (4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए **नागरिको** के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदो के **आरक्षण** के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
अनुच्छेद 17 - अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता समाप्त कर दी जाती है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा।

गरिमा और समानता के बीच सम्बन्ध:

गरिमा और समानता एक दूसरे से जुडी हुई अवधारणा है दोनों को एक दुसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है | अतः दोनों एक दुसरे की पूरक है | मानव गरिमा और समानता वैश्विक स्तर पर स्वीकृत नैतिक मूल्य एवं आधुनिक समाज का राजनीतिक आदर्श और लोकतंत्र का आधारभूत तत्व है | मानवीय गरिमा और समानता मानव अधिकारों का अभिन्न अंग है | गरिमा अधिकार सृजित करने वाला मूल्य है | जिसे समानता की अवधारणा को आधार या दिशा देने के लिए उपयोग किया जाता है | गरिमा मानव का एक अन्तर्निहित मूल्य है जो मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है | और मनुष्य को मानवता की ओर प्रवर्त करता है |

गरिमा समानता की आधारशिला है: मानव गरिमा समानता के अधिकार की जननी है | जैसे कि किसी व्यक्ति की गरिमा का हनन होता है तो वह समानता के भाव की तरफ अग्रसर होता है जब व्यक्ति के साथ की भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तब यह माना जाता है कि उस व्यक्ति की गरिमा की रक्षा नहीं की जा रही है | इसीलिए मानव गरिमा की रक्षा हेतु समाज में सभी के साथ समान व्यवहार और सभी का समान सम्मान किया जाना आवश्यक होता है |

समानता गरिमा को प्रोत्साहित करती है: जब समाज में सभी व्यक्तियों को समान सम्मान और उनकी संसाधनों तक समान पहुँच को सुनिश्चित किया जाता है, सभी को उनकी क्षमता के अनुसार समान अवसर प्रदान किया जाता है तो यह इस बात की पुष्टि करता है कि उनकी गरिमा को सम्मानित, पुष्पित और संरक्षित किया जा रहा है | समानता व्यक्तिगत स्वायत्ता और आत्म सम्मान जो कि गरिमा के लिए आवश्यक है दोनों को बढ़ावा देती है |

गरिमा हेतु समानता की आवश्यकता: समानता समाज में भेदभाव, वंचना और हाशियाकरण को रोकती है | जब व्यक्तिगत अन्तर्निहित मूल्य को मान्यता दी जाती है तो यह माना जाता है कि सभी मनुष्य समान है और समान सम्मान पाने के हकदार है | अतः कहने का मतलब यह है कि गरिमा के मूल्य को बनाये रखने के लिए समानता एक आवश्यक शर्त है | क्योकि यदि समाज में किसी व्यक्ति के साथ किसी भी स्तर पर या किसी भी तरह का भेदभाव किया जाता है तो यह माना जाता है कि उस व्यक्ति की गरिमा को समाप्त किया जा रहा है |

स्वायत्ता: समानता गरिमा के आवश्यक मूल्य स्वायत्ता को प्रोत्साहित करती है |

समावेशन: समानता समाज में समावेशन को बढावा देती है | जैसे सभी की संसाधनों तक समान पहुँच को सुनिश्चित करना

सामाजिक न्याय : समानता गरिमा को प्रोत्साहित करके समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करने का कार्य करती है | आन्दोलन जैसे : नारीवाद, जातिवाद, मानवाधिकार आदि समाज में समानता के लिए किए गए प्रयास है | जो कि विशेषकर वंचित समूह की गरिमा को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है |

मानव अधिकार: मानव अधिकार की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा में मानव गरिमा और समानता के महत्त्व को समझते हुए कहा गया है कि "सभी लोग **में** सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और सम्मान और अधिकारों में समान होते हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएँ: सभी की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक समान पहुँच आवश्यक है विशेषकर उन समुदायों के लिए जो हाशिए पर है उनकी गरिमा को बनाये रखने के लिए | समानता यह सुनिश्चित करती है कि सभी को समान उपचार, सुविधाएँ और अवसर प्राप्त होंगे |

शिक्षा : समानता सभी तक शिक्षा की समान पहुँच को सुनिश्चित करती है | जिससे सभी शिक्षा ग्रहण करके अपनी गरिमा को संरक्षित, पुष्पित और पल्लवित कर सके | विशेषकर उन समुदायों के लिए जिन्हें प्राचीन समय से ही शिक्षा से वंचित रखा गया है |

मानव गरिमा और समानता परस्पर अंतर्संबंधित और निर्भर अवधारणा है जो कि सामाजिक न्याय और मानव कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण है | दोनों एक दूसरे के पूरक है | दोनों को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है | मानव गरिमा समानता का आधार स्तम्भ है जबकि समानता मानव गरिमा को पुष्पित पल्लवित और संरक्षित करती है | मानव गरिमा का मूल्य व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है | यह व्यक्ति का अनार्जित मूल्य होता है जो उसके अस्तित्व को बनाये रखने के लिए आवश्यक होता है | यह किसी सामाजिक या कानूनी दबाव के कारण मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है बल्कि व्यक्ति को उसके अस्तित्व के कारण प्राप्त होता है | जो कि सभी मनुष्य में समान होता है इसलिए यह मूल्य मनुष्य के अन्दर मानवता को जीवित रखता है इसे किसी भी समाज या कानून के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है जब-जब समाज में मानव गरिमा का हनन होता है तब-तब मनुष्य के अधिकारों का जन्म होता है | जैसे मानव अधिकार, कहा जाये तो मानवाधिकार इसके मूल में है अर्थात मानव अधिकारों के पीछे गरिमा ही है | समानता के आदर्श की जननी भी गरिमा ही है, समानता के अधिकार मनुष्य को कानून द्वारा प्राप्त होता है यह व्यक्ति का अर्जित मूल्य है | समय-समय पर विभिन्न समाज सुधारकों ने समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की असमानता जैसे लैंगिक, जातिगत और अमीर गरीब आदि को समाप्त करके समाज में समानता स्थापित करने के लिए संघर्ष किया है जैसे कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का विरोध किया महात्मा ज्योतिभा राव फुले ने समाज के कमजोर वर्ग और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आजीवन संघर्ष किया | वे जाति व्यवस्था के विरोधी थे | भीम राव अम्बेडर जी ने दलितों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया | और वे समाज में समानता स्थापित करने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते थे | वे शिक्षा तक सभी की समान पहुँच पर बल देते थे, उनका मानना था कि शिक्षा द्वारा ही एक नए समतामूलक समाज का निर्माण संभव है | वे समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व स्थापित करना चाहते थे | समाज में समानता को कानूनी रूप से मान्यता देने हेतु संविधान में अनुच्छेद 14-18 में प्रावधान किए गए है | कहने का अर्थ है कि समानता के मूल्य को कोई भी व्यक्ति या समूह कानूनी कार्यवाही के द्वारा प्राप्त या अर्जित कर सकता है और कोई व्यक्ति इसे दूसरे व्यक्ति से इसे छीन भी सकता है लेकिन गरिमा के मूल्य को कोई भी व्यक्ति जबरन ना ही किसी व्यक्ति से अलग कर सकता और न ही इसके बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व है यह मूल्य मनुष्य के पास उसके अस्तित्व के कारण प्राप्त होता है | अतः गरिमा के मूल्य के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है |

चूँकि शिक्षा पहले उच्च वर्ग तक ही सीमित थी | भारतीय समाज में सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था | शिक्षा के अभाव में इस समाज की स्थति बहुत पिछड़ी और कमजोर थी | इस विषय में ज्योतिभा राव फुले ने कहा है **"कि शिक्षा के अभाव में बुद्धि बिगडती है; बुद्धि के अभाव में नैतिकता का पतन हो गया; उन्नति के अभाव में धन लुप्त हो गया; धन के अभाव में शूद्रों का नाश हो गया और ये सभी दु:ख अशिक्षा से उत्पन्न हुए"** ज्योतिभा शिक्षा को समतावादी नवसमाज निर्माण का महत्वपूर्ण साधन मानते थे | शिक्षा के आभाव में यह समाज न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी गुलाम था | जिसके कारण उच्च वर्ग द्वारा प्रताड़ित किये जाने के कारण दलित समुदाय की गरिमा का हनन होता था | इसलिए सभी को समाज में गरिमा के साथ जीने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान किया गया कि "**किसी व्यक्ति को उसके प्राण या देहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा अन्यथा नहीं"** | संविधान का अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। न्यायालय के बार-बार के कथनों से यह अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है ... [कि] जीवन का अधिकार व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार की गारंटी देता है। इसमें जीवन के वे सभी पहलू शामिल हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने लायक बनाते हैं। सम्मान के साथ जीने के अधिकार के व्यापक अर्थ के दृष्टिकोण में सभी सामाजिक और आर्थिक अधिकार शामिल है | मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदत्त गरिमा के मूल्य को संरक्षित, पुष्पित और पल्लवित करने हेतु भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21(A) के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया | इसका सम्मान और संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है | गरिमापूर्ण जीवन के लिए सभी को शिक्षा के समान अवसर मिलना आवश्यक है |

प्राप्तियाँ (Findings):

- **गरिमा और समानता की परस्पर निर्भरता:** यह शोध पत्र गरिमा और समानता की परस्पर निर्भरता और उनके आन्तरिक सम्बन्ध को दर्शाता है | जहाँ गरिमा अधिकारों की जननी है वहीँ समानता उन्हें प्रोत्साहित करने की भूमिका अदा करती है | कहने का अर्थ यह है की गरिमा और समानता के बीच सकारात्मक सम्बन्ध पाया जाता है
- **संवैधानिक महत्त्व:** प्रस्तुत शोध पत्र यह दर्शाता है कि किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीती को दिशा निर्देश देता है | संविधान में उल्लेखित आदर्शों के अनुसार ही राजनीतिक व्यवहार किया जाता है और उन आदर्शों को समाज में प्रोत्साहित तथा उनके अस्तित्व को बनाये रखने हेतु सरकार विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बनाती है |

जैसे भारतीय संविधान में तीन तरह के न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदि आदर्शों का उल्लेख किया गया है |

- यह शोध अद्ययन यह बताता है कि मानव गरिमा और समानता दोनों महत्वपूर्ण आदर्श है और एक दुसरे से परस्पर सम्बंधित है किसी भी देश की राजनीति इन दोनों आदर्शों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है | यदि किसी देश की राजनीति में इन दोनों आदर्शों को महत्त्व नहीं दिया जाता है तो वहाँ इनका विकास अवरुद्ध हो जाता है | और समाज में विभिन्न प्रकार की असमानता बनी रहती है जिसके कारण समाज में शक्तिशाली वर्ग (सत्ताधारी वर्ग) और शक्तिहीन वर्ग आदि का जन्म होता है जिसके कारण शक्तिशाली वर्ग की समाज में सत्ता स्थापित हो जाती है, शक्तिशाली वर्ग द्वारा हाशिये पर स्थित समुदायों के अधिकारों का हनन किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है | कहने का अर्थ यह है कि राजनीति गरिमा और समानता के सम्बन्ध को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है
- **स्थानीय कारक -:** किसी भी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी गरिमा और समानता के सम्बन्ध के रूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है |
- **शिक्षा का महत्त्व -:** किसी भी समाज में गरिमा और समानता को प्रोत्साहित करने, और संरक्षित करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है | शिक्षा व्यक्ति को सत्ताधारी विचारधाराएँ, राजनीती और सामाजिक असमानताएं पर आलोचनात्मक ढंग से उनको चुनौती देने में सहायता करती है| सामाजिक न्याय, अधिकारों के प्रति सजगता, और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है |
- **समावेशी नीतियाँ और उनके क्रियान्वयन का महत्त्व -:** यह शोध पत्र ये दर्शाता है कि सरकारी नीतियाँ और उनका क्रियान्वयन में अभ्यास (Practice) दोनों की समाज में विशेष रूप से वंचित वर्ग के लिए गरिमा और समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं |

शैक्षिक निहितार्थ: यह शोध पत्र सामाजिक न्याय और मानवाधिकार को विशेष रूप से वंचित वर्ग के लिए बढ़ावा देने में योगदान दे सकता है और समाज में विद्यमान असमानता और भेदभावपूर्ण व्यवहार आदि को समाप्त करने हेतु ऐसी नीतियाँ और अभ्यास (Practice) आदि की आवश्यकता को दर्शाता है जो कि गरिमा और समानता को बढ़ावा देने में सहायता करे | वंचित वर्ग को सशक्त करने हेतु उनकी गरिमा और समानता को संरक्षित करने के लिए समावेशी नीतियों और विशेष प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है | यह शोध अद्यतन शैक्षिक नीतियों में सुधार करने और शैक्षिक व्यवस्था

को समावेशी और समतावादी बनाने में भूमिका अदा कर सकता है | यह अद्यतन उन सत्ताधारी विचारधाराओं को जो समाज में असमानता बनाये रखने तथा गरिमा को नष्ट करने पर जोर देती हैं उनको चुनौती देने और उनकी आलोचना करने में सहायक हो सकता है | यह शोध पत्र वंचित समुदायों की शिक्षा और उनके जागरूकता ऐसी सम्बन्धी ऐसी पहलों या कार्यक्रमों (initiatives) जो इन समुदायों की गरिमा और समानता के अधिकार को प्रोत्साहित करने की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है | प्रस्तुत शोध पत्र आलोचनात्मक सिद्धांतों को बढ़ावा देने जो सामाजिक कल्याण, मानव अधिकार और गरिमा को प्रोत्साहित करते हैं उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है |

निष्कर्ष:

मानव गरिमा और समानता परस्पर अंतर्संबंधित और निर्भर अवधारणा है जो कि सामाजिक न्याय और मानव कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण है | दोनों एक दूसरे के पूरक है | दोनों को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है | मानव गरिमा समानता का आधार स्तम्भ है जबकि समानता मानव गरिमा को पुष्पित पल्लवित और संरक्षित करती है | यह शोध पत्र गरिमा और समानता के बीच सम्बन्ध की सैद्धान्तिक व्याख्या प्रस्तुत करता है | और मानव कल्याण, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों आदि मूल्यों को बढ़ावा देने के महत्त्व को प्रदर्शित करता है |

सन्दर्भ:

- O, Connell, R. (2008) The role of dignity in equality law: Lessons from Canada and South Africa. International Journal of Constitutional Law, 6(2). 267-286. https://doi.org/10.1093/icon/mon004
- Indian Kanoon - Article 21 in Constitution of India http://indiankanoon.org/doc/116
- Liu, P. (2018) Dignity and equality in healthcare. Journal of Medical Ethics, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29487117/
- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। संयुक्त राष्ट्र. Welcome to the United Nations https://www.un.orguniversal-declaration-of-human-rights
- McCrudden, C. (2008). Human dignity and judicial interpretation of human rights. European Journal of International Law, 19(4), (p.p 667)

https://doi.org/10.1093/ejil/chn043

- NCERT (2024) political theory, https://ncert.nic.in/textbook/pdf/khps103.pdf, ((p.p.32) https://ncert.nic.in/textbook/pdf/khps104.pdf(p.p.61)
- सिंहल, एस, सी. (2013). पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल.
- Sirswal, D. R. (2013). Jyotiba Phule: A Modern Indian Philosopher. Darshan: International Refereed Quarterly Research Journal for Philosophy and Yoga. https://www.researchgate.net/publication/272303358
- Sinha, N. (2020). Human Dignity- A Kantian Perspective. 3(2), An Interdisciplinary Journal of Navrachana University. https://nuv.ac.in/wp-content/uploads/pdf/interwoven/issue/Volume3_13.pdf
- Staffen, M. R., & Arshakyan, M. (2017). About the principle of dignity: philosophical foundations and legal aspects. Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos, 38(75), 43. https://doi.org/10.5007/2177-7055.2017v38n75p43
- Ram,J. (2014)The constitution of India, Bare Act, Central Law agency, Allahabad.